MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ZAMBIA

ON

COOPERATION IN THE FIELD OF ARTS AND CULTURE

Ahr

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Zambia (Hereinafter jointly referred to as the "parties" and separately as a "party");

RECALLING the implementation of the cultural co-operation agreement signed between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Zambia in New Delhi on 26th January, 1975:

DESIRING to consolidate and strengthen friendship and mutual understanding between the two countries;

RECOGNISING the benefit of promoting mutual co-operation and the exchange of knowledge and understanding of the respective culture and their history and life styles;

ACKNOWLEDGING the mutual advantages that will result from this MEMORANDUM OF UNDERSTANDING hereby agree as follows:--

Article 1 Objectives

The objective of this MEMORANDUM OF UNDERSTANDING is to promote closer co-operation in the field of arts and culture for the purpose of developing activities, programmes and project for cultural and artistic exchange in accordance with the parties' relevant domestic laws and regulations based on equality and mutual benefit.

Article 2 Competent Authorities

The Competent authority responsible for the implementation of the MEMORANDUM OF UNDERSTANDING will be:


- a) In case of the Government of Republic of India, the Ministry of Culture.
- b) In the case of the Government of Republic of Zambia, The Ministry of Tourism and Arts.

Article 3 Conformity

The implementation of this MOU will be in accordance with the laws and regulation applicable in the respective countries.

Article 4 Music And Dance

The Parties will exchange music and dance ensembles and/or individual performing artist including classical and folk troupes for a period not exceeding 10 days each. Dates and other details of such exchange will be mutually agreed upon by the parties through diplomatic channels.



Article 5

Theatre

- a) Both Parties will encourage and facilitate exchange of theatre performances in both countries and to participate in local and international theatre festivals on mutually agreed terms.
- b) Both Parties will exchange theatre journals and publications on a reciprocal basis between the two countries on mutually agreed terms.

Article 6

Exhibition, Seminars and conferences

- a) The Parties will exchange contemporary and modern arts exhibitions between the two countries on reciprocal basis on mutually agreed terms.
- b) Both Parties will invite experts from the other side to participate in international seminars, symposiums, conferences, camps, residencies etc on culture and arts.

Article 7

Archaeology

a) Both Parties will support cooperation in the field of protection, conservation and promotion of cultural heritage of both countries.

b) The Parties will exchange one expert each in the field of protection and conservation of ancient monuments and archaeological sites, art objects and development of archaeological site museums for a two-week period, details of which will be mutually agreed upon by the parties through diplomatic channels.

Article 8 Archives

- a) The Parties will promote exchange of information and documentation concerning the history of Zambia in the archives of India and the history of India in archives of Zambia, as well as copies of documents (digital copies) of interest to both Parties in order to replenish in respective collections. Modalities will be worked out through mutual consultations.
- b) Both Parties will exchange experts for a period of one week in each case, in the field of Records Management, Archive Administration and Conservation of records, digitalization and digital preservation of records.
- c) The National Archives of India will provide professional training facilities to officials and student of Zambia in the courses run by the School of Archival Studies. Similarly, the National Archives of Zambia will provide professional training courses to officials of National Archives of India.

Alexander

Article 9

Library

- a) Both Parties will exchange publications and other reading materials of mutual interest on reciprocal basis.
- b) The Parties will assist exchange of visits of library experts reciprocally with a view to promoting library activities between both countries. Details will be finalized through diplomatic channels.

Article 10

Museums

- a) The National Museum on both sides will exchange exhibitions, museum exhibits and museum personnel. Exhibitions may also be organized jointly by the respective museums. Details will be finalized through diplomatic channels.
- b) Exchange of the Museum's personnel/experts including Curators, Deputy Curators, Research Officer, Assistant Curators, and Conservators for the period of four weeks to share knowledge and expertise in respective fields.
- c) Exchange of standard arts publications.

Article 11

Literature

a) Both Parties will exchange a writer's delegation on reciprocal basis. Details of such visits will be mutually decided by the parties through diplomatic channels.

MACO

b) Both Parties will promote the translation of literary work of famous writers and poets in both countries.

Article 12

Research and Documentation

Both Parties will facilitate

- a) Study of the artistic heritage, folklore/folk traditions and narrative forms.
- b) Devising creative activities for cognitive and skill development of the students.
- c) Exploring possibilities of developing educational activities at Art Academies, Museums, Cultural Center and Education Institutions for children.
- d) Development of Audio-Visual and printed educational materials for students and teachers to have better understanding of tangible and intangible art forms of both countries.
- e) Documentation of Arts, Museum objects and production of Cultural Resources of both countries.

Article 13

Science Museums/Centres

Both Parties will exchange one senior level Science Communication professional to study science centres / museums & non-formal science education programmes in India & in Zambia. The professional from Zambia will visit India to study NCSM museum/centre programme for identifying and strengthening collaborative avenues for development of

interactive science centres & non-formal science learning centres, etc. The duration of the visit will be one week each.

Article 14 Anthropology

Both Parties will exchange visits of experts in anthropology of different institutes of both countries.

Article 15 Festivals

The Parties will conduct festivals in each other's country, which will include the exchange of tours of performing art groups of multiple participation from each side. The details of these tours and other activities included will be developed on the basis of reciprocity.

Article 16 Mass Media

- a) Both Parties will exchange programme depicting various facets of life and culture in the two countries through their respective radio and TV organization.
- b) Both Parties will endeavour to strengthen relation between their national broadcasting organizations by exchange of programmes, professionals and by utilizing training expertise and facilities available in respective country. Details of such exchange will be mutually agreed upon by the Parties through diplomatic channels.
- c) Both Parties will invite each other to its International Film Festivals.

Article 17 Youth Programmes

The Parties will encourage the exchange of youth programmes, participation in youth festivals in either country, visits of the officials in charge of the Youth Affairs, sharing of experiences, skills, techniques, information and knowledge in the areas of cooperation in youth affairs and participation of youth in seminars and conference organized in both countries on youth related issues.

Article 18

General and Financial Provisions

- A. Exchange of individuals, delegations, exhibitions:

 Every Party will send to the other Party the bio-data (including languages spoken and proposed itinerary) at least two months in advance of the expected date of visit of the delegation or individuals selected under this Programme and bio-data of performing groups at an exhibition four months in advance. The receiving Party will inform the other Party about agreeing to receive or postponing the date at least one month in advance.
- B. Exchange of exhibitions:
 Separate agreements will be reached between the promoting party and the receiving party with regard to exhibition. The sending Party will inform the receiving country about the technical details of the proposed exhibition. The necessary information for the elaboration of the corresponding catalogue must be sent three months before the inauguration date. The art exhibits must arrive at their destination 15 days before the opening of the exhibition.

- C. Exchange of materials:
 Each contracting Party will have the right to use the materials exchanged in the field of information, Mass Media in its own programmes and such materials should not be given by the receiving Party to a third Party.
- D. Finances:
 While visiting representatives of groups, delegations, performing groups to each other countries, sending Party will provide international travel expenses, the receiving Party will provide boarding, food and internal travel expenses, as well as emergency expenses.
- E. One-month duration visits:

 The sending Party will provide international travel expenses in respect of their performing groups and delegations in case of visits for a period not exceeding one month. The receiving Party will provide hospitality, which includes free boarding and lodging, internal travel expenses and free medical care in case of sudden illness in the Government Hospital. This is applicable in respect of both the Parties.

Article 19

Miscellaneous

Any dispute between the Parties arising out of the interpretation, application or implementation of this MEMORANDUM OF UNDERSTANDING will be settled amicably through consultation or negotiations between the Parties.

The provisions of this MEMORANDUM OF UNDERSTANDING will not preclude the Parties from agreeing

Arro-

through the diplomatic channel, on other arrangements which they may deem desirable.

The present MEMORANDUM OF UNDERSTANDING is not an international treaty and does not create obligations under international law.

This MEMORANDUM OF UNDERSTANDING may be amended at any time by mutual written consent of the Parties by an Exchange of Notes between the Parties through the diplomatic channel.

Either Party may terminate this MEMORANDUM OF UNDERSTANDING by giving written notice to the other Party 6 (six) months in advance. The termination of this MEMORANDUM OF UNDERSTANDING will not prejudice the completion of any ongoing programmes and projects under this MOU unless the Parties decide otherwise.

The Present MEMORANDUM OF UNDERSTANDING comes into force from the date of its signature thereof by the Parties and will remain valid for a period of four years or till a fresh MEMORANDUM OF UNDERSTANDING is signed.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective government, have signed this MOU.

Done and signed at New Delhi on 21st day of August, 2019 in two originals each in Hindi and English languages, both texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text will prevail.

For the Government of the Republic of India

Shri ∀. Muraleedharan, Minister of State for External Affairs For the Government of the Republic of Aambia

Hon. Joseph Malanji, Minister of Foreign Affairs

कला और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग

पर

भारत गणराज्य की सरकार

तथा

जांबिया गणराज्य की सरकार

के बीच

समझौता ज्ञापन

भारत गणराज्य की सरकार तथा जांबिया गणराज्य की सरकार (जिन्हें इसके पश्चात् संयुक्त रूप से "दोनों पक्ष" और पृथक रूप से "पक्ष" कहा गया है);

26 जनवरी, 1975 को नई दिल्ली में भारत गणराज्य की सरकार और जांबिया गणराज्य की सरकारों के बीच हस्ताक्षरित सांस्कृतिक सहयोग समझौते के कार्यान्वयन का स्मरण करते हुए;

दोनों देशों के बीच मैत्री और आपसी समझ को सुदृढ़ और मजबूत बनाने की इच्छा से;

परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने और संबंधित संस्कृति और उनके इतिहास और जीवन शैली के ज्ञान और समझ के आदान-प्रदान के लाभ को स्वीकार करते हुए;

इस समझौता ज्ञापन के परिणामस्वरूप होने वाले पारस्परिक लाभों को स्वीकार करते हुए दोनों पक्ष इस प्रकार से सहमत होंगे:

अनुच्छेद 1

उद्देश्य

इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य समानता और परस्पर लाभ पर आधारित, दोनों पक्ष के संगत देशीय नियमों एवं विनियमों के अनुसार सांस्कृतिक एवं कलात्मक आदान-प्रदान के लिए कार्यकलापों, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के विकासार्थ कला और संस्कृति क्षेत्र में प्रगाढ़ सहयोग को बढ़ावा देना है।

अनुच्छेद 2

सक्षम प्राधिकारी

इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी सक्षम प्राधिकारी इस प्रकार होंगे:

- क) भारत गणराज्य की सरकार के मामले में, संस्कृति मंत्रालय।
- ख) जांबिया गणराज्य की सरकार के मामले में, पर्यटन एवं कला मंत्रालय।

अनुच्छेद 3

अनुरूपता

इस समझौता ज्ञापन का कार्यान्वयन संबंधित देशों में लागू नियमों और विनियमों के अनुरूप होगा।

अनुच्छेद ४

संगीत और नृत्य

दोनों पक्ष, शास्त्रीय और लोक मंडलियों सिहत संगीत और नृत्य मंडलियों और/या व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुति देने वाले कलाकारों का, प्रत्येक हेतु अधिकतम 10 दिनों की अवधि के लिए आदान-प्रदान करेंगे। ऐसे आदान-प्रदान की तारीखें और अन्य ब्यौरे राजनियक चैनलों के माध्यम से दोनों पक्ष द्वारा परस्पर सहमति के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे।

अनुच्छेद 5

रंगमंच

- (क) दोनों पक्ष, परस्पर रूप से सहमत शर्तों पर दोनों देशों में रंगमंच प्रस्तुतियों के आदान-प्रदान और स्थानीय तथा अंतरराष्ट्रीय रंगमंच महोत्सवों में सहभागिता को प्रोत्साहित करेंगे और इसे सुविधाजनक बनाएंगे।
- (ख) दोनों पक्ष, परस्पर रूप से सहमत शर्तों पर दोनों देशों के बीच पारस्परिक आधार पर रंगमंच संबंधी पत्रिकाओं और प्रकाशनों का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 6

प्रदर्शनी, संगोष्ठी और सम्मेलन

- (क) दोनों पक्ष, परस्पर रूप से सहमत शर्तों पर आपसी आधार पर दोनों देशों के बीच समकालीन और आधुनिक कला प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान करेंगे।
- (ख) दोनों पक्ष, संस्कृति और कला पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों, विचार-गोष्ठियों, सम्मेलनों, शिविरों, आवासीय कार्यक्रमों आदि में भाग लेने के लिए दूसरे पक्ष के विशेषज्ञों को आमंत्रित करेंगे।

अनुच्छेद ७

पुरातत्व विज्ञान

(क) दोनों पक्ष, दोनों देशों की सांस्कृतिक विरासत की संरक्षा, संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में सहयोग का समर्थन करेंगे।

Min

(ख) दोनों पक्ष, दो सप्ताह की अवधि के लिए प्राचीन स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों, कला वस्तुओं की संरक्षा और संरक्षण तथा पुरातत्वीय स्थल संग्रहालयों के विकास के क्षेत्र में प्रत्येक के लिए एक-एक विशेषज्ञ का आदान-प्रदान करेंगे, जिसके ब्यौरे राजनयिक चैनलों के माध्यम से दोनों पक्ष द्वारा परस्पर रूप से तय किए जाएंगे।

अनुच्छेद 8

अभिलेखागार

- (क) दोनों पक्ष, अपने-अपने संग्रहों में पुन: पूर्ति के लिए भारत के अभिलेखागार में जांबिया के इतिहास और जांबिया के अभिलेखागार में भारत के इतिहास से संबंधित सूचना और प्रलेखन के साथ-साथ दोनों पक्ष के हितों से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियों (डिजिटल प्रतियों) के आदान-प्रदान को बढ़ावा देंगे। तत्संबंधी कार्यविधियां परस्पर परामर्श के माध्यम से तैयार की जाएंगी।
- (ख) दोनों पक्ष, अभिलेख प्रबंधन, अभिलेखागार प्रशासन और अभिलेखों के संरक्षण, अभिलेखों के अंकीकरण एवं अंकीय परिरक्षण के क्षेत्र में प्रत्येक मामले में एक सप्ताह की अवधि के लिए विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करेंगे।
- (ग) भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेखीय अध्ययन विद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में जांबिया के अधिकारियों और छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करेगा। इसी प्रकार, जांबिया का राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के अधिकारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करेगा।

अनुच्छेद 9

पुस्तकालय

- क) दोनों पक्ष पारस्परिक आधार पर एक-दूसरे के हित के प्रकाशनों और अन्य पठन सामग्री का आदान-प्रदान करेंगे।
- ख) दोनों पक्ष, दोनों देशों के बीच पुस्तकालयं कार्यकलाप को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से परस्पर रूप से पुस्तकालय विशेषज्ञों के दौरों के आदान-प्रदान में मदद करेंगे। इन ब्यौरों को राजनयिक चैनलों के माध्यम से अंतिम रूप दिया जाएगा।

अनुच्छेद 10

संग्रहालय

- क) दोनों पक्षों के राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनियों, संग्रहालय प्रदर्शों तथा संग्रहालय कार्मिकों का आदान-प्रदान करेंगे। संबंधित संग्रहालयों द्वारा संयुक्त रूप से भी प्रदर्शनियां आयोजित की जा सकती हैं। ब्यौरों को राजनयिक चैनलों के माध्यम से अंतिम रूप दिया जाएगा।
- ख) दोनों पक्ष, संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए चार सप्ताह की अवधि के लिए संग्रहाध्यक्षों, उप संग्रहाध्यक्षों, अनुसंधान अधिकारियों, सहायक संग्रहाध्यक्षों और संरक्षकों सिहत संग्रहालय के कार्मिकों/विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करेंगे।
- ग) दोनों पक्ष, एक-दूसरे के मानक कला प्रकाशनों का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 11

साहित्य

- क) दोनों पक्ष, परस्पर आधार पर लेखक प्रतिनिधिमंडल का आदान-प्रदान करेंगे। ऐसे दौरों के ब्यौरे राजनयिक चैनलों के माध्यम से दोनों पक्ष द्वारा परस्पर रूप से तय किए जाएंगे।
- ख) दोनों पक्ष, दोनों देशों के प्रसिद्ध लेखकों और कवियों की साहित्यिक कृतियों के अनुवाद को प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद 12

अनुसंघान और प्रलेखन

दोनों पक्ष निम्नलिखित को सुविधाजनक बनाएंगे :

- क) कलात्मक विरासत, लोक साहित्य/लोक परम्पराएं तथा कथा रूपों का अध्ययन।
- ख) छात्रों के ज्ञानात्मक तथा कौशल विकास के लिए रचनात्मक कार्यकलापों को तैयार करना।
- ग) बच्चों के लिए कला अकादेमियों, संग्रहालयों, सांस्कृतिक केन्द्रों और शैक्षिक संस्थाओं में शैक्षणिक कार्यकलापों को विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाना।
- घ) दोनों देशों के मूर्त और अमूर्त कला रूपों की बेहतर समझ के लिए छात्रों और अध्यापकों के लिए श्रव्य-दृश्य तथा मुद्रित शैक्षिक सामग्रियों का विकास करना।

Arra Maria

ड.) दोनों देशों की कला, संग्रहालय वस्तुओं का प्रलेखन करना तथा सांस्कृतिक संसाधनों का निर्माण करना।

अनुच्छेद 13

विज्ञान संग्रहालय/केन्द्र

दोनों पक्ष, भारत में और जांबिया में विज्ञान केन्द्रों/संग्रहालयों एवं गैर-औपचारिक विज्ञान शिक्षा कार्यक्रमों के अध्ययन के लिए वरिष्ठ स्तर के एक विज्ञान संचार पेशेवर का आदान-प्रदान करेंगे। जांबिया के व्यावसायिक, परस्पर संवादात्मक विज्ञान केन्द्रों एवं गैर-औपचारिक विज्ञान शिक्षण केन्द्रों आदि के विकास हेतु सहयोगात्मक उपायों की पहचान और सुदृढ़ीकरण के लिए एनसीएसएम संग्रहालय/केन्द्र कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिए भारत का दौरा करेंगे। दौरे की अवधि एक सप्ताह होगी।

अनुच्छेद 14

मानवविज्ञान

दोनों पक्ष, दोनों देशों की विभिन्न संस्थाओं के मानव विज्ञानवेत्ताओं के दौरों का आदान-

अनुच्छेद 15

महोत्सव

दोनों पक्ष, एक-दूसरे के देश में महोत्सव आयोजित करेंगे, जिसमें एक-दूसरे पक्ष के विविध भागीदारों के मंचकला समूहों के दौरों का आदान-प्रदान शामिल होगा। इन दौरों और अन्य शामिल कार्यकलापों के ब्यौरे पारस्परिकता के आधार पर तैयार किए जाएंगे।

अनुच्छेद 16

जन संचार

क) दोनों पक्ष, अपने संबंधित रेडियो और टेलीविजन संगठन के माध्यम से दोनों देशों के जीवन और संस्कृति के विविध पहलुओं को दर्शाने वाले कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करेंगे।

- ख) दोनों पक्ष, अपने-अपने देश में उपलब्ध प्रशिक्षण विशेषज्ञता तथा उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करते हुए कार्यक्रमों, व्यावसायिकों के आदान-प्रदान द्वारा अपने राष्ट्रीय प्रसारण संगठनों के बीच संबंध मजबूत करने के प्रयास करेंगे। ऐसे आदान-प्रदान के ब्यौरे राजनयिक चैनलों के माध्यम से दोनों पक्षों द्वारा परस्पर सहमति से निर्धारित किए जाएंगे।
- ग) दोनों पक्ष, अपने-अपने अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में एक-दूसरे को आमंत्रित करेंगे।

अनुच्छेद 17

युवा कार्यक्रम

दोनों पक्ष, युवा कार्यक्रमों के आदान-प्रदान, एक-दूसरे के देश में युवा महोत्सवों में भागीदारी, युवा कार्य के प्रभारी अधिकारियों के दौरे, युवा कार्य में सहयोग के क्षेत्रों में अनुभव, कौशल, तकनीकों, सूचना और ज्ञान के सहभाजन और युवाओं से संबंधित मुद्दों पर दोनों देशों में आयोजित संगोष्ठियों और सम्मेलनों में युवाओं की सहभागिता को प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद 18

सामान्य तथा वित्तीय प्रावधान

क. व्यक्तियों, शिष्टमंडलों, प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान :

प्रत्येक पक्ष, इस कार्यक्रम के तहत चुने गए प्रतिनिधिमंडल अथवा व्यक्तियों के दौरे की संभावित तारीख से कम से कम दो माह पूर्व दूसरे पक्ष को जीवन-वृत्त (बोली जाने वाली भाषाओं तथा प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम सहित) भेजेगा तथा प्रदर्शनी में प्रदर्शन करने वाले मंचकला समूहों का जीवन-वृत्त चार माह पहले भेजेगा। मेजबान पक्ष, दूसरे पक्ष को कम से कम एक माह पहले उक्त तारीख की स्वीकृति अथवा तारीख आगे बढ़ाने की सूचना देगा।

ख. प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान :

प्रदर्शनियों के संबंध में प्रेषक पक्ष और मेज़बान पक्ष के बीच अलग से करार किये जाएंगे। प्रेषक पक्ष प्रस्तावित प्रदर्शनी के तकनीकी विवरण के बारे में मेजबान पक्ष को सूचित करेगा। समरूप सूचीपत्र के विस्तार संबंधी आवश्यक सूचना उदघाटन की तारीख से तीन महीने पहले अवश्य

Ans

भेजी जानी चाहिए। कला प्रदर्श, प्रदर्शनी शुरू होने से पन्द्रह दिन पहले उनके गंतव्य स्थल तक अवश्य पहुँच जाने चाहिए।

ग. सामग्रियों का आदान-प्रदान :

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को सूचना, जन संचार के क्षेत्रों में आदान-प्रदान की गई सामग्रियों को अपने कार्यक्रमों में उपयोग करने का अधिकार होगा और ऐसी सामग्रियों को मेजबान पक्ष द्वारा किसी तृतीय पक्ष को नहीं दिया जाना चाहिए।

घ. वित्तीय व्यवस्थाः

एक-दूसरे के देश में दौरा करने वाले प्रतिनिधियों, समूहों, शिष्टमंडलों, मंचकला समूहों के लिए, प्रेषक पक्ष अंतरराष्ट्रीय यात्रा व्यय प्रदान करेगा। मेजबान पक्ष, आवास, भोजन तथा आंतरिक यात्रा व्यय के साथ-साथ आकस्मिक व्यय का वहन करेगा।

ड. एक माह अवधि के दौरे :

प्रेषक पक्ष, एक माह से अनधिक अवधि के दौरे के मामले में अपने मंचकला समूहों और प्रतिनिधिमंडल से संबंधित अंतरराष्ट्रीय यात्रा व्यय प्रदान करेगा। मेजबान पक्ष, आतिथ्य प्रदान करेगा, जिसमें नि:शुल्क आवास एवं भोजन, आंतरिक यात्रा व्यय और अचानक अस्वस्थता के मामले में सरकारी अस्पताल में नि:शुल्क चिकित्सा देखभाल शामिल हैं। यह दोनों पक्षों पर लागू होगा।

अनुच्छेद 19

विविध

दोनों पक्षों के बीच इस समझौता ज्ञापन की विवेचना, अनुप्रयोग या कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का निपटारा दोनों पक्षों के बीच परामर्श या बातचीत के जरिए सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जाएगा।

इस **समझौता ज्ञापन** के उपबंध दोनों पक्ष को अन्य व्यवस्थाओं पर, जिन्हें वे वांछित समझें, राजनियक चैनलों के माध्यम से सहमत होने के लिए प्रतिबंधित नहीं करेंगे।

Am

वर्तमान समझौता ज्ञापन अंतरराष्ट्रीय संधि नहीं है और इससे अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत बाध्यता उत्पन्न नहीं होगी।

इस समझौता ज्ञापन को राजनयिक चैनल के माध्यम से दोनों पक्ष के बीच टिप्पणियों के आदान-प्रदान द्वारा दोनों पक्ष की आपसी लिखित सहमति से किसी भी समय संशोधित किया जा सकता है।

कोई भी पक्ष, दूसरे पक्ष को 6 (छ:) माह पूर्व लिखित सूचना देते हुए इस समझौता ज्ञापन को समाप्त कर सकता है। इस समझौता ज्ञापन की समाप्ति से इस एमओयू के अंतर्गत किसी भी जारी कार्यक्रम और परियोजना के समापन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब तक कि दोनों पक्ष कोई अन्य निर्णय नहीं ले लेते हैं।

वर्तमान **समझौता ज्ञापन** दोनों पक्ष द्वारा इस पर हस्ताक्षर होने की तारीख से प्रभावी होगा और यह चार वर्ष की अवधि अथवा नए **समझौता ज्ञापन** पर हस्ताक्षर होने तक वैध रहेगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप, संबंधित सरकारों द्वारा विधिवत प्राधिकृत किए जाने के उपरांत अधोहस्ताक्षरी ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस समझौता ज्ञापन पर 21 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में हिंदी और अंग्रेजी भाषा में प्रत्येक की दो मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। तथापि, निर्वचन में किसी विभेद की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की सरकार

की ओर से

श्री वी मुरलीधरन

विदेश राज्य मंत्री

जांबिया गणराज्य

की सरकार कीं ओर से

माननीयं जोसफ मलॉं जी

विदेश मंत्री